कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-Mail:- deanshahdol@gmail.com Website:- WWW.GMCSHAHDOL.ORG

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/...356....... शहडोल, दिनांक 26/12/2022

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के भोपाल के पत्र कमांक एफ2/57/2018/55-1 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2018 मे किये गये प्रावधानों के अनुसार एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति से अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति प्रदाय करने हेतु म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय सेवा आदर्श नियम 2018 के उपनियम 10 (अ) के तहत् स्कूटनी समिति की अनुशांसानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 03 मे उल्लेखित कर्मचारी के एवज में कॉलम 02 मे उल्लेखित अभ्यार्थी को उसके नाम के सम्मुख कॉलम 04 मे दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर एवं कॉलम 05 में उल्लेखित श्रेणी के अनुसार वेतनमान 28700-91300 (लेवल-07) न्यूनतम वेतन 28700 पर तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

कं.	कॉलम 03 में दर्शाये कर्मचारियों के एवज में नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यार्थी के नाम,पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कर्मचारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 02 में दर्शाये गये अभ्यार्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना	चयनित श्रेणी
1	2	3	4	5
1	लवली गुप्ता पिता/पति श्री कृष्ण कुमार गुप्ता (नर्सिग ऑफिसर) म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इन्दौर म.प्र.	प्रिया मिश्रा, (नर्सिग ऑफ़िसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल म.प्र.	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि.शहडोल म.प्र.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी।

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्याल शहडोल के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण -पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी. 3-13/2019/3 एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत ,द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान रूपयें 28700-91300 (लेवल07) से न्यनतम वेतन रूपये-28700/- प्रतिमाह एंव शासन द्वारा समय -समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

8. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन शासित होगें।

9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

11. नियुक्त व्यक्ति को 50/- रूपयें के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

12. चयनित प्रत्याशी को पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अंतिम वेतन आहरण पत्रक एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

14. स्टाफ नर्स ,(नर्सिंग ऑफिसर) की ड्यूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00बजे तक ,द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से 07:00बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 07:00बजे से 07:00बजे प्रातः अगले दिन तक होगी। प्रमुख पारिचारिका स्टाफ रोस्टर अनुसार जिस पाली में ड्यूटी लगाई जावेगी। उस पाली में ड्यूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति मे म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक....../......./2022

पृ. क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/....................

प्रतिलिपिः- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल ।
4. संभागायुक्त शहडोल,संभाग शहडोल म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा **महाविद्यालय इन्दौर म.प्र. की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
6. स्थानीय लेखा बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल म.प्र.।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की ओर भेजकर लेख है कि कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रू. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड - 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

//

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)
E-Mail:- deanshahdol@gmail.com Website:- WWW.GMCSHAHDOL.ORG

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/...................... शहडोल, दिनांक....../......./2022

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के भोपाल के पत्र कमांक एफ2/57/2018/55-1 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2018 मे किये गये प्रावधानों के अनुसार एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति से अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति प्रदाय करने हेतु म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय सेवा आदर्श नियम 2018 के उपनियम 10 (अ) के तहत् स्कूटनी समिति की अनुशंसानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 03 मे उल्लेखित कर्मचारी के एवज में कॉलम 02 मे उल्लेखित अभ्यार्थी को उसके नाम के सम्मुख कॉलम 04 मे दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर एवं कॉलम 05 में उल्लेखित श्रेणी के अनुसार वेतनमान 28700-91300 (लेवल-07) न्यूनतम वेतन 28700 पर तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	कॉलम 03 में दर्शाये कर्मचारियों के एवज में नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यार्थी के नाम,पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कर्मचारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 02 में दर्शाये गये अभ्यार्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना	चयनित श्रेणी
1	2	3	4	5
1	लवली गुप्ता पिता/पति श्री कृष्ण कुमार गुप्ता (नर्सिग ऑफिसर) म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इन्दौर म.प्र.	प्रिया मिश्रा, (नर्सिग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल म.प्र.	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि.शहडोल म.प्र.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी।

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्याल शहडोल के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण -पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी. 3-13/2019/3 एक भोपाल दिनांक। 2 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत ,द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान रूपयें 28700-91300 (लेवल07) से न्यनतम वेतन रूपये-28700/- प्रतिमाह एंव शासन द्वारा समय -समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

8. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन शासित होगें।

9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

11. नियुक्त व्यक्ति को 50/- रूपयें के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवावदारी मेरी स्वयं की होगी।

12. चयनित प्रत्याशी को पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अंतिम वेतन आहरण पत्रक एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

14. स्टाफ नर्स ,(नर्सिंग ऑफिसर) की ड्यूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00बजे तक ,द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से 07:00बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 07:00बजे से 07:00बजे प्रातः अगले दिन तक होगी। प्रमुख पारिचारिका स्टाफ रोस्टर अनुसार जिस पाली मे ड्यूटी लगाई जावेगी। उस पाली में ड्यूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति मे म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

//

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/356-363 **शहडोल, दिनांक** 26/12/**2022**

प्रतिलिपिः- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल ।
4. संभागायुक्त शहडोल,संभाग शहडोल म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर म.प्र. की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. स्थानीय लेखा बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल म.प्र.।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की ओर भेजकर लेख है कि कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रू. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड - 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)